THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) No decision, as yet, has been taken for revival or otherwise of Hooghly Dock and Port Engineers Ltd.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

Specification of the Nature of Cargo by Transport Carriers

2467. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that all the transport carriers carrying hazardous items have to indicate the nature of the cargo and antidote in case of any mishap;

(b) whether carrying of such antidote material has been made mandatory. If not, the reasons therefor;

(c) whether the responsibility of implementing the rule has been pin-pointed on any authority; and

(d) if so, the name of the authority?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) and (d) The responsibilty for implementing the provisions of Motor Vehicles Act and Rules is with the Transport Departments of the State Governments.

दिल्ली परिवहन निगम का दिल्ली सरकार को सौंपा जाना

2468. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली परिवहन निगम को दिल्ली सरकार को सौंपे जाने के मुद्दे पर विचार कर रही है यदि हां, तो किस आधार पर दिल्ली परिवहन निगम को दिल्ली सरकार को सौंपा जा रहा है;

(ख) क्या दिल्ली सरकार से इस मुद्दे पर कोई बातचीत की गई है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि दिल्ली सरकार दिल्ली परिवहन निगम को अपने नियंत्रण में लेने पर सहमत हो जाती है तो उसका आधार क्या होगा और यदि नहीं, तो दिल्ली परिवहन निगम के भविष्य, उसके कर्मचारियों की समस्याओं और दिल्ली परिवहन निगम के कार्यकरण के संबंध में सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) दिल्ली परिवहन निगम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को हस्तांतरित करने का एक प्रस्ताव भेजा गया था । राज्य सरकार ने अपने दिनांक 8 दिसम्बर, 1994 के पत्र के तहत दिल्ली परिवहन निगम के हस्तांतरण को स्वीकार करने के लिए अनेक शर्तें लगाई हैं । इनकी जांच की जा रही है ।

गुजरात के दुर्घटना दावा प्राधिकरण द्वारा दावों के मामलों को निपटाने में विलम्ब

2469. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1994 तक की स्थिति के अनुसार दुर्घटना दावा प्राधिकरण के पास गुजरात के सूरत, भरुच, बड़ोदरा और पंचमहल के संबंध में लंबित मुआवजे के मामलों की जिलेवार संख्या क्या है;

(ख) यह प्राधिकरण किसी मामले को निपटाने में सामान्यतया कितना समय लेता है;

(ग) प्राधिकरण द्वारा एक मामले के निपटान में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जग[illegible]) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और राज्य सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Dredging work by Dutch Contractor

2470. SHRI NILOTPAL BASU:
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Dutch contractor engaged in the Capital Dredging work at Jiggerkhali Flat has been served with an order of termination of contract by Calcutta Port Trust while Dredger Corporation of India Limited has not done so despite the Contractor's non-performance;

(b) if so, the cost of acquisition of Dr. CSD 'Aquarius' and her deployment schedule since its acquisition;

(c) whether it is a fact that some "basket" arrangements were ordered by